अनुस्मरण पत्र

संख्या–पुन–304/आठ–8–2023

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण
(अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर
को छोड़कर) उत्तर प्रदेश।

2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
(देवबन्द को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 02 अप्रैल, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–41(3) उत्तर प्रदेश (भवन संचालन का विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा–15 तथा विशेष क्षेत्र अधिनियम 1986 की संगत धाराओं के अन्तर्गत शासन स्तर पर लम्बित पुनरीक्षणवादों की सुनवाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–17/आठ–8–2023 दिनांक 03.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों के अनेक मामलों में अधिनियम की संगत धाराओं के अन्तर्गत पुनरीक्षणवाद शासन में योजित होने के उपरांत प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र की योजित पुनरीक्षणवादों के सापेक्ष प्रस्तरवार अद्यतन आख्या के अभाव में सम्प्रति विचाराधीन है। ऐसे विचाराधीन प्रकरणों की अद्यतन सूची एवं वांछित प्रस्तरवार आख्या के अभाव में निस्तारण किये जाने में कठिनाई है। ऐसे मामलों का शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु अभिकरणों की अद्यतन आख्या आवश्यक है, इस संबंध में विचाराधीन पुनरीक्षणवादों की अद्यतन सूची एवं वांछित प्रस्तरवार आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जो कि शासन में अभी तक अप्राप्त है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अभिकरण से संबंधित शासन स्तर पर विचाराधीन पुनरीक्षणवादों की अद्यतन सूची एवं पुनरीक्षणवाद के सापेक्ष अद्यतन प्रस्तरवार आख्या **तत्काल** शासन को उपलब्ध कराते हुए ई–मेल आई0डी0 awas8.sahari@gmail.com पर भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव।

B GO Comp. 2022